

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 305/2415-2527

/2022-23 दिनांक 13 सितम्बर, 2022

विषय: प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2058/15-05-2021-1600(359)/2014 दिनांक 25.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों(समूह-ग) पर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2- उक्त के अनुक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लिपिक पदों पर चयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1154/15-5-2022-1800(359)/2014 दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा समय-सारणी निर्धारित की गयी है। किन्तु अपरिहार्य कारणों से शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा निर्गत समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही सम्भव न हो सकी।

3- तत्क्रम में शासनादेश संख्या-1632/15-05-2022-1600(359)/2014 दिनांक 17 सितम्बर, 2022 द्वारा लिपिक चयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने की अंतिम तिथि में 01 माह की वृद्धि करते हुए संशोधित अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2023 निर्धारित की गयी है।

तदनुपालन में संशोधित समय-सारणी(संलग्नक-1) तथा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-2) इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है संशोधित समय-सारणी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर समस्त प्रबन्धकों को सूचित करें तथा शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही कराते अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय(मा0), उ0प्र0 लखनऊ में तत्काल उपलब्ध कराने के साथ ही (संलग्नक-3) निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन सायं 5:00 बजे तक अपने मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराये।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ0(सरिता तिवारी),
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0सं0: 305/

/2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), मुख्यालय प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराते हुए प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

डॉ0(सरिता तिवारी),
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा०),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 3150/

/2022-23 दिनांक 18 सितम्बर, 2022

विषय: प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2058/15-05-2021-1600(359)/2014 दिनांक 25.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों(समूह-ग) पर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2- उक्त के अनुक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लिपिक पदों पर चयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1154/15-5-2022-1800(359)/2014 दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा समय-सारणी निर्धारित की गयी है। किन्तु अपरिहार्य कारणों से शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा निर्गत समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही सम्भव न हो सकी।

3- तत्क्रम में शासनादेश संख्या-1632/15-05-2022-1600(359)/2014 दिनांक 17 सितम्बर, 2022 द्वारा लिपिक चयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने की अंतिम तिथि में 01 माह की वृद्धि करते हुए संशोधित अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2023 निर्धारित की गयी है।

तदनुपालन में संशोधित समय-सारणी(संलग्नक-1) तथा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-2) इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है संशोधित समय-सारणी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर समस्त प्रबन्धकों को सूचित करें तथा शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही कराते अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय(मा०), उ०प्र० लखनऊ में तत्काल उपलब्ध कराने के साथ ही (संलग्नक-3) निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन सायं 5:00 बजे तक अपने मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराये।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ०(सरिता तिवारी),
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ०सं०: 3150/ 2415-25-27

/2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), मुख्यालय प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराते हुए प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

डॉ०(सरिता तिवारी),
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लिपिक पदों पर चयन किये जाने हेतु
निर्धारित समय-सारणी**

क्र.सं.	कार्यवाही	अपेक्षित समय
1.	निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषण	18.09.2022 तक
2.	संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्ताव प्रेषण।	24.09.2022 तक
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि, औचित्य, गृहक आश्रित एवं अधिसंख्य पद का समायोजन, आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का नियमों/विनियमों के आलोक में परीक्षण करने के उपरान्त सत्यापित प्रति स्पष्ट संस्तुति/असंस्तुति के साथ प्रस्ताव शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० को प्रेषण।	26.09.2022 तक
4.	शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० लखनऊ द्वारा जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कराने के उपरान्त अनुमति हेतु कार्यवाही।	30.09.2022 तक
5.	शिक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्ध तन्त्र को लिपिक पद भरने हेतु विज्ञापन की अनुमति प्रदान करना	03.10. 2022 तक
6.	नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विनियम 101 के खण्ड (3) के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले (जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूची के प्रथम 05 में से) कम से कम दो राज्य-स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार/आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराना (जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी विज्ञापित में प्रकाशित कराया जायेगा)। आवेदन पत्र भरने हेतु कम से कम 21 दिन का समय दिया जायेगा।	06.10.2022 तक
7.	अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था प्रबन्धक को प्रेषित करने के साथ ही उसकी छायाप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनके ई-मेल आईडी० पर प्रेषित किया जाना	27.10.2022 तक
8.	संस्था प्रबन्धक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा PET में प्राप्त परसेन्टाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार कराया जाना।	06.11.2022 तक
9.	मेरिट के आधार पर 01 पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा हेतु तथा सम्बन्धित शासनादेश में उल्लिखित व्यवधानुसार कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा कराया जाना।	22.11.2022 तक
10.	कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों की PET में प्राप्त परसेन्टाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाना तथा विज्ञापित पदों के सापेक्ष 03 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण।	04.12.2022 तक
11.	विनियम 101 के खण्ड(1) में गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार।	10.12.2022 तक
12.	चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की PET परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाना।	17.12.2022 तक
13.	प्रबन्धक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषण।	24.12.2022 तक
14.	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्ति तैयार कराकर अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मण्डलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।	01.01.2023 तक
15.	मण्डलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनुमन्यता निर्गत करना।	08.01.2023 तक
16.	नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करना।	16.01.2023 तक

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षणेत्तर पदों पर चयन किये जाने हेतु 10 बिन्दुओं का प्रपत्र

क्र०सं०	विवरण	आख्या																															
1.	विद्यालय का नाम																																
2.	विद्यालय किस स्तर तक सहायता प्राप्त है ? -	हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट																															
3.	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय को हाईस्कूल व इण्टर स्तर पर कब मान्यता प्राप्त हुई (मान्यता आदेश की प्रति) विद्यालय में हाईस्कूल व इण्टर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले मान्य विषयों का विवरण 	मान्यता वर्ष— मान्यता आदेशों की प्रति (हॉ/नहीं) विषय—																															
4.	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय में सृजित पदों की संख्या, पदसृजन जनशक्ति वर्ष 2013 के आधार पर (शासन द्वारा निर्धारित) विद्यालय में कार्यरत लिपिकों का विवरण आरक्षण सहित। 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सृजित कुल पद</th> <th colspan="2">कार्यरत</th> <th rowspan="2">रिक्त</th> </tr> <tr> <th>सीधी भर्ती</th> <th>पदोन्नति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>पद सृजन / निर्धारित जनशक्ति आदेशों की प्रति (हॉ/नहीं).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th> <th>कर्मचारी का नाम</th> <th>सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति कोटे</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	सृजित कुल पद	कार्यरत		रिक्त	सीधी भर्ती	पदोन्नति					क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति कोटे	1			2			3			4			5			6		
सृजित कुल पद	कार्यरत			रिक्त																													
	सीधी भर्ती	पदोन्नति																															
क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति कोटे																															
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
5.	रिक्त पदों की संख्या (आरक्षण) दर्शाते हुए, जिसके लिए अनुमति वांछित है।	अनुमति हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या तथा आरक्षण प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव (हॉ/नहीं)																															

6.	रिक्ति का कारण व रिक्ति का दिनांक, अंतिम पदधारक का नाम	रिक्ति का कारण	रिक्ति का दिनांक	अंतिम पद धारक का नाम		
7.	जिस पद के लिए अनुमति वांछित है उसके सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है।	<table border="1"> <tr> <td>हाँ/नहीं</td> <td>प्रमाण पत्र</td> </tr> </table>			हाँ/नहीं	प्रमाण पत्र
हाँ/नहीं	प्रमाण पत्र					
8.	30 सितम्बर, 2021 को विद्यालय की कक्षावार छात्र संख्या	ग्रारूप पर अंकित				
9.	विद्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी अधिसंख्य है।	<table border="1"> <tr> <td>हाँ/नहीं</td> <td>प्रमाण पत्र</td> </tr> </table>			हाँ/नहीं	प्रमाण पत्र
हाँ/नहीं	प्रमाण पत्र					
10.	वर्तमान में मृतक आश्रित प्रकरण लम्बित है	<table border="1"> <tr> <td>हाँ/नहीं</td> <td>प्रमाण पत्र</td> </tr> </table>			हाँ/नहीं	प्रमाण पत्र
हाँ/नहीं	प्रमाण पत्र					

()
 प्रधानाचार्य,
 संस्था—.....

()
 प्रबन्धक,
 संस्था—.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद ————— में मृतक आश्रित के सेवायोजन हेतु जनपद स्तर पर कोई भी प्रकरण लम्बित/शेष नहीं है।

जिला विद्यालय निरीक्षक

मा0 न्यायालय में प्रकरण न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/विद्यालय -
..... में सीधी भर्ती सहायक लिपिक रिक्त पद से सम्बन्धित
कोई भी प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

()

प्रधानाचार्य,
संस्था-.....

()

प्रबन्धक,
संस्था-.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अधिसंख्य कर्मचारियों के समायोजन की स्थिति

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/विद्यालय -
..... में अद्यतन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में
अधिसंख्य कर्मचारियों के समायोजन की स्थिति का कोई प्रकरण नहीं है।

()

प्रधानाचार्य,

संस्था-.....

()

प्रबन्धक,

संस्था-.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/विद्यालय -
..... में सहायक लिपिक के पद सृजित है, जिनमें
पद पदोन्नति हेतु निर्धारित है एवं पद सीधी भर्ती हेतु निर्धारित है। आरक्षण
नियमावली के तहत 05 से कम पदों पर आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू न होने के
कारण उक्त पद पर आरक्षण नियम लागू नहीं है।

() ()
प्रधानाचार्य, प्रबन्धक,
संस्था-..... संस्था-.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

लिपिक पद पर भर्ती का संस्तुति/असंस्तुति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/विद्यालय -
..... में सहायक लिपिक के पर सीधी भर्ती की
संस्तुति/असंस्तुति प्रदान की जाती है।

(.....)
प्रधानाचार्य,
संस्था-.....

(.....)
प्रबन्धक,
संस्था-.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

संस्था/विद्यालय में पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरण के अवशेष की स्थिति

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/विद्यालय -
..... में सहायक लिपिक के पर सृजित है, जिनमें 01
पद पदोन्नति हेतु नियत है, शेष 01 पद सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित किया जाता है।
सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित पद पर पदोन्नति सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है।

() ()
प्रधानाचार्य, प्रबन्धक,
संस्था-..... संस्था-.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण-

लिपिक संवर्ग-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि

चतुर्थ श्रेणी संवर्ग-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि

()

प्रधानाचार्य,

संस्था-.....

()

प्रबन्धक,

संस्था-.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

मृतक आश्रित के प्रकरण लम्बित न होने की स्थिति का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था/विद्यालय -
..... में सहायक लिपिक हेतु प्रस्तावित रिक्त 01 पद पर
मृतक आश्रित का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

() ()
प्रधानाचार्य, प्रबन्धक,
संस्था-..... संस्था-.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

संस्था/विद्यालय में शैक्षिक सत्र- 20 - 20 में अध्ययनरत
छात्र/छात्राओं का संख्यात्मक विवरण

क्र०सं०	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
योग		

() ()
प्रधानाचार्य, प्रबन्धक,
संस्था-..... संस्था-.....

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित

सांख्यिकीय

संख्या १०५१/ १३ (३) २०२१ १०००(३३०)/२०१४

सेवा

प्रशासकीय सहायक,
अपर मुख्य सचिव,
सर्वोच्च न्यायालय।

सेवा में

शिक्षा निर्देशक (प्रशासकीय),
एन डी सी।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग ३

जयपुर दिनांक २५ नवंबर, २०२१

विषय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिपिक श्रेणी/शिक्षणोत्तर पदों पर
रखन हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय

सम्बन्धी विषयक अपने व संक. सामान्य(१)प्रश्न/४३६३/२०१८-१९, दिनांक-१३.०८.२०१८,
सामान्य(१)प्रश्न/७२६६/२०१८-१९, दिनांक-२६.०३.२०१९, सामान्य(१)प्रश्न/७२६०/२०१८-१९,
दिनांक-२६.०३.२०१९, सामान्य(१)प्रश्न/७२६६/२०१८-१९, दिनांक-२८.०३.२०१९, सामान्य(१)प्रश्न/
७२६४/२०१८-१९, दिनांक-२९.०३.२०१९, सामान्य(१)प्रश्न/२०१७/२०२०-२१, दिनांक-१७.०९.२०२०,
सामान्य(१)प्रश्न/११६९०/२०२०-२१, दिनांक-१३.११.२०२०, सामान्य(१)प्रश्न/११६९०/२०२०-२१,
दिनांक-१९.११.२०२० एवं सामान्य(१)प्रश्न/११७०७/२०२०-२१, दिनांक-१३.११.२०२० का कृपया
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारियों के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक
विद्यालयों में शिपिक श्रेणी/शिक्षणोत्तर पदों (संख्या-१) पर चयन/नियुक्ति हेतु प्रविष्टि निर्धारण
के संबंध में परस्पर सहमति को स्पष्टीकरण प्रदायक है।

२- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिपिक श्रेणी/शिक्षणोत्तर पदों
(संख्या-१) पर चयन/नियुक्ति हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ के अध्याय-तीन के
नियम १०१ में उपर्युक्त विद्यमान है। विद्यमान व्यवस्था में प्रश्नगत पदों पर चयन/नियुक्ति की
जोई स्पष्ट प्रविष्टि निर्दिष्ट न होने के कारण प्रश्नगत अधिनियम-१९२१ के अध्याय-३ के नियम
१०१ में विद्यमान व्यवस्था में संशोधन कर सहायता के स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था/चयन प्रक्रिया
का निर्धारण निम्नलिखित किया जाता है:-

विद्यमान व्यवस्था/चयन प्रक्रिया	प्रतिस्थापित व्यवस्था/चयन प्रक्रिया
१	२
नियम-१०१	नियम-१०१

३

<p>निर्णय पाठिकांश निरीक्षक के पूर्वाग्रहों के विनाय किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था के शिवायेतः (नियम संघर्ष) पर भी रिक्ति को नहीं भरेगा। अतिरिक्त यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त रिक्तियों की संख्या शिवा निदेशक, माध्यमिक को उपलब्ध करायेगा तथा संस्था में छात्र संख्या दर्शाते हुए पदों को भरे जाने के आँकित्व को भी स्पष्ट करेगा। शिवाय निदेशक, माध्यमिक से आदेश प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त रिक्तियों (अनुर्थ श्रेणी रिक्तियों)</p>	<p>(1) विद्यालयों पर न्यून संख्या</p> <p>अव्यवस्थित संस्थाओं प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में निरीक्षक बर्खा/विस्थापन पदों पर न्यून संख्या न्यून संख्या का कठोर निष्पत्ति किया जाएगा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सम्बन्धित विद्यालय का पत्रांक प्रथम प्रकाश समिते द्वारा नामित कोई व्यक्ति का वर्तमान पत्रांक संमिते का सदस्य हो। (विद्यालय पत्रांक समिते का अस्तित्व न होने की दशा में पाठिकांश निर्देशक समस्त संमिते के अध्यक्ष होने।) 2. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित संघ विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी- 3. जिला सेवायोजन अधिकारी- (जिला सेवायोजन अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जनपद स्तरीय अधिकारी) 4. जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभुभावार्थ- 5. क्रम संख्या-1,2,3 व 4 में नामित सदस्यगण में से अन्य विच्छिन्न वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी/अधिकारियों को नामित किया जायेगा। <p>(2) आवेदन हेतु पात्रता:-</p> <p>उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में 50 एवं अधिक पराईडल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रस्तावित चयन के लिये आवेदन करना हेतु पात्र होंगे। (PET स्कोर से हात्पर्य आवेदन की तिथि पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घोषित नैथ स्कोर से है।)</p>
---	--

को भरे जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमति पत्रान करेगा और अनुमति पत्रान करते समय शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों एवं पदों के ओचित्य के लिए निर्धारित मानकों का

पालन करायेगा।"

(3) आवेदन की प्रक्रिया -

प्रथमतः न्यून हेतु नकार पदका अधिनियम तथा न्यून आयुका द्वारा आयोजित पारंपरिक अर्हता परीक्षा (PET) में 50 एवं अधिक परीक्षार्थी स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में आवेदन निम्न प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित किया जायेगा -

जनपद स्तर पर सन्तुलित असायकीय मान्यता प्राप्त मध्यमिक शिक्षा-एट में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना सन्तुलित प्रस्ताव-3 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायेगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त पदों की पुष्टि अधिसूच, मूलक प्रोफाइल एवं अधिसूच्य पद का समागोजन, आरक्षण के नियमों का अनुपालन करके हुए स्पष्ट संरुति सहित प्रस्ताव शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा नियमों के आलोक में ओचित्य एवं आवश्यकता के परीक्षणोपरान्त प्रथमतः पदों का भरे जाने हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा। शिक्षा निदेशक के आदेश के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-तीन के विनियम-101 की प्रतिस्थापित व्यवस्थानुसार पदों को भरने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी (प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकार नियंत्रक) को अनुमति पत्रान किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबंध तंत्र माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले (जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूची के प्रथम 5 में से) कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार/ आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

विज्ञापन में पद का वेतनमान व अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये जायेंगे तथा आवेदन पत्र भरे जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश अंकित किया जायेगा। आवेदन पत्र भरने हेतु ऐसा अंतिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए) विहित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र सन्तुलित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा उरुकी छायाप्रति सन्तुलित जिला विद्यालय निरीक्षक के ई-मेल आई0 डी0 पर प्रेषित किया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ई-मेल आई0डी0 का विज्ञापन में प्रकाशित कराया जायेगा।

(4) आरक्षण -

उपरोक्त की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को उपाय सरकार के आचार्यिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुक्रम होगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों मध्य उपाय के संबंधित समय सेनाओं के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजनों तथा उपाय की पहिले अभ्यर्थियों को भी विद्यमान आचार्यिक शासनादेशों/आयदेश/आयनियम के अनुसार विहितता करने पर नियमानुसार आरक्षण अनुक्रम होगा।

उत्तर प्रदेश शासन कार्गिक अनुक्रम द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3/2019 /4/1/2002/का-2/19 सीटीसी-11 दिनांक 14 मार्च, 2019 में विहित आर्थिक रूप से कागजोर वर्ग (ई0उक्यू0एस10) की 10 प्रतिशत आरक्षण प्राविधनानुसार देय होगा।

दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों पर क्षेत्रीय आरक्षण दिव्यांग/विकलांग कल्याण अनुभाग-3, उपाय शासन के शासनादेश संख्या 35/65-3-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार देय होगा।

(5) आयु सीमा--

प्रश्नगत विज्ञापन में अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

नोट:- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। कार्गिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-22/21/1983-कार्गिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षित पदों के साधे आयेदन करने एवं आरक्षण का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्थानता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में विहित "भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा" के अन्तर्गत परिभाषित होना आवश्यक है और ऐसे अभ्यर्थियों के आयेदन की अन्तिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है। सभाज के दिव्यांगजनों को उपाय सरकार के आचरण, नवीनतम विद्यमान कार्गिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी।

(6) आवेदन शुल्क--

लिथिक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु निम्नानुसार श्रेणीवार आवेदन शुल्क अनुमान्य होगा--

श्रेणी	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अनारक्षित (समान्य)/ अन्य मिछला वर्ग	750.00
2	अनुसूचित जाति/जनजाति/ई0उरुवु0एरु0	500.00

(नोट-- आवेदन शुभल वक ड्रापट/पोस्टल ऑर्डर एवं एन0ई0एक0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित संस्था के प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकृत/प्रबंध संचालक के पदनाम से संवालिता खाते में जमा किया जायेगा)

(7) चयन हेतु शैक्षिक अर्हता--

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उराके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संवालिता हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिखा गया हो। (कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/2016/3/1/2015-का-2 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार)

अथवा

कम्प्यूटर संचालन का डीएक/निलिड द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र।

अथवा

कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा/डिग्री। (कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/2016/3/1/2015-का-2 दिनांक 23 सितम्बर 2016 के अनुसार)

कम्प्यूटर में उच्च योग्यता वाले तथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी/पीएचडीएच, पीएचडीएच, एमडीएचएम तथा पेंसिल्वेनिया जलाना राज्य (पीएच, पीएचएमडी, पीएचए, एमएएसडी, एमडीएच) में कम्प्यूटर के कम आठव एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स पारित। (प्राथमिक अनुक्रम-2 के संशोधनार्थ संख्या-2/2018/3/1/2018-कम-2 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के अनुसार)

3. कम्प्यूटर पर हिंदी संक्षेप गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी संक्षेप गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होगी।

(8) चयन प्रक्रिया--

• आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यातीफाईम संक्षेप परीक्षा आयोजित की जायेगी। संक्षेप परीक्षा चयन के राजकीय आयोगिक प्रशासन संस्थान में आयोजित की जायेगी। संक्षेप परीक्षा का अनुभवण तालिका के बॉलम-2 के दिन्दु (1) के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

• संक्षेप परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा 01 पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। यदि 01 पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है तो PET में सर्वाधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को संक्षेप परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

• कम्प्यूटर संक्षेप परीक्षा न्यातीफाईम होगी। प्रबंधक द्वारा संक्षेप परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पञ्जीकृत डाक के माध्यम से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों के ई-मेल आईडी की पर भी संक्षेप परीक्षा की तिथि की सूचना दी जायेगी।

• संक्षेप परीक्षा न्यातीफाईम करने वाले अभ्यर्थियों की PET में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

• चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार दिया जायेगा।

• चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के PET परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

- प्राधिकार द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यभार लेवार करवाकर, अभिलेखों का सम्यक् परीक्षण करके हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मण्डलीय समिति को प्रेषित किया जायेगा।
- मण्डलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनुमत्यात्मक निर्गत की जायेगी।
- धरमिता अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मूल संस्था से किया जायेगा तथा व्यय शुल्क सम्बन्धित अभ्यापी द्वारा वहन किया जायेगा।
- चयन हेतु पदों एवं दायित्व अध्यापकों के विद्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद होने की शिकायत में प्रकरण का निस्तारण मण्डलीय समिति द्वारा किया जायेगा।
- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यापकों का जगह के मुख्य विधिकृत अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सहाय प्राधिकारी एवं अभिसूचना इकाई (एलओआई यूओ) द्वारा वरिष्ठ/आपराधिक रिकॉर्ड विपरीत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के परराज संस्था प्रबंधक द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(iv) अभ्यापकों के लिए सामान्य अनुदेश-

- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यापकों का केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमत्य होगी।
- भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन उभय संस्थान द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सहाय अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करके अन्यथा अभ्यापी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यापी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एकदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र धार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 में निर्धारित प्रारूप पर हो तथा प्रमाण-पत्र में अभ्यापी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- ऐसे पुरुष अभ्यापी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यापी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पत्नी से ही एक जीवित पत्नी है, पत्र नहीं भेजे जायेंगे।
- आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक ही अभ्यापकों द्वारा

Rs

धारित अर्हता स्वीकार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद गठन की गयी मीम्बर/अर्हता पर सा वेतु मान्य की होगी।
 *विदेशी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में फटा तथ्यों को अलग-अलग पत्रों के आधार पर सुदि नहीं की जा सकती, वेगे पर प्रथमतः भंगन से परित्याजित (Debar) किया जा सकता है।
 *सर्वसंग्रह अथवा समस्त उत्तरीय विशेषज्ञ के मान्य पत्र में अर्हता जमादिदि ही मान्य होगी। अर्हतादिदि हेतु उक्त समान-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में पुझे मत रहने का निदेश हुआ है कि प्रथमतः फलरूप में उपरिनिर्दिष्ट आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चिता करने का कष्ट करें।

भारतीय,
 (असाध्यो सुवेदितो)
 अपर मुख्य सचिव

संख्या- (1) / 15-05-2021-1600(359) / 2014, तददिनांक।

प्रतिदिदि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 उम मुख्यमंत्री जी (माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी), उत्तर प्रदेश।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र सं0-4/3/23/2021-सी0एक्स0(1), दिनांक-16 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में।
8. समस्त विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उम सचिव, अनु सचिव एवं अनुभाग अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. समस्त अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उम शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
 25/11/2021
 (जय शंकर दुबे)
 विशेष सचिव।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रतिदिन सायं-5:00 बजे तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रपत्र

क्र०सं०	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपद में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव की संख्या	जनपद में लम्बित प्रस्ताव की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						